न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(सुश्री सुमन सोनल आर0ए0एस0 पीठासीन अधिकारी)

प्रकरण सं. – 18/2016 रे0वा0 निर्णय दिनांक – 08.07.2019

अनवान

1. शान्ता बेवा लक्ष्मणसिंह रावत
2. केली पिता लक्ष्मण सिंह नाबालिग बवलायत माता शान्ता मु. शान्ता पत्नि लक्ष्मणसिंह।
3. इन्द्रा पिता चमनसिंह जरिये सरंक्षक माता शान्ता पत्नि लक्ष्मणसिंह
4. तेजसिंह पिता चमनसिंह जरिये सरंक्षक माता शान्ता पत्नि लक्ष्मणसिंह
   समस्त जाति रावतान निवासीयान चेता तहसील भीम राजसमन्द।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सोहनसिह पिता रामसिंह रावत
2. तुलछासिंह पिता रामसिंह रावत
3. विरमसिह पिता रामसिंह रावत
4. मूलसिंह मुतबन्ना मालसिंह रावत
5. गणेशसिंह पिता प्रेमसिंह रावत
6. रणवीरसिंह पिता उदा रावत
7. दौली पत्नि स्व. उदा रावत
   समस्त निवासीयान चेता तहसील भीम राजसमन्द
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम

अप्रार्थीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955</u>

महोदयजी,

वादीगण का वादपत्र निम्न हैः

ग्राम चेता पटवार हल्का बाघाना तहसील भीम राजसमन्द में निम्न विवरण वाली आराजियात आई हुई हैः–

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
42	93	2–13–0	बंजड

कुल किता एक रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा

पद संख्या एक में वर्णित भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 7 काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है जिसमें पद संख्या एक में अंकित भूमि में वादीगण शान्ता, केली, इन्द्रा, तेजसिह का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 5 सोहनसिंह, तुलछासिंह, विरमसिंह, मूलसिह, गणेशसिंह का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या छः व सात रणवीरसिह एवं दौली का 1/4 हिस्सा होकर वह उस पर काबिज होकर काश्त करते–कराते चले आ रहे है। पद संख्या एक में वर्णित आराजियात आज दिन तक रेकार्ड में बिना बंटी चली आ रही है। एंव प्रत्येक रेकार्डेड खातेदार अपनी–अपनी सहुलियत के अनुसार अपने–अपने हिस्से के मुताबिक उसका उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं एवं उपरोक्त आराजियात का माप एंव सीमांकन (मीटस एवं बाउण्डस) के विधिवत रूप से कभी बंटवारा नहीं हुआ है एवं उक्त आराजियात आज तक बिना बंटी होकर वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या एक लगायत 7 के सामूहिक उपयोग–उपभोग में चली आ रही है।

वादीगण ने कई बार प्रतिवादी संख्या एक लगायत सात को उपरोक्त आराजियात का विधिवत बंटवारा करा अपने हिस्से में आई हुई आराजियात को अपने हिस्से की भूमि को अपने–अपने खाते में दर्ज करा उसके विकास की बात कही एवं वादीगण ने प्रतिवादी संख्या एक लगायत सात को तहसील में चलकर विधिवत बंटवारा कराने हेतू कागजात पेश करने बाबत कहा तो प्रतिवादी संख्या एक लगायत सात कोई बहाना बनाकर टालते रहे। वाद हेतूक लगभग पिछले छः माह से जब से वादीगण ने वादग्रस्त भूमि के सह–खातेदार प्रतिवादी संख्या एक लगायत सात को अपने–अपने हिस्सेनुसार भूमि का मौके पर बंटवारा कराने हेतू एवं अपने–अपने खाते कराने एवं हिस्सेनुसार लगान निर्धारण की बात कहना चालू किया तो प्रतिवादी संख्या एक लगायत सात के द्वारा सहमत नहीं होने से वाद कारण निरन्तर पैदा हो रहा है और आज से दस दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या एक लगायत सात को कहा तो उन्होंने कोई जवाब नही दिया जिससे वाद कारण और बढ गया है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

अतः वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी का वादपत्र इस प्रकार प्रारम्भिक डिकी किया जाता है कि वादपत्र के खाता संख्या 42 के आराजी खसरा नम्बर 93 कुल किता 1 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से बाई मीटस एण्ड बाउण्डस व अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारा किया जाकर वादीगण का 1/4 हिस्सा अलग किया जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाकर दिनांक 28.08.2019 से पूर्व इस न्यायालय को भिजाना सुनिश्चित करें। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे। तदनुसार प्रारम्भिक डिकी जारी हो।

( )
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

प्रारम्भिक डिकी

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, भीम

ब इजलास सुश्री सुमन सोनल आर.ए.एस. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम।

1. शान्ता बेवा लक्ष्मणसिंह रावत
2. केली पिता लक्ष्मण सिंह नाबालिग बवलायत माता शान्ता मु. शान्ता पत्नि लक्ष्मणसिंह।
3. इन्द्रा पिता चमनसिह जरिये सरंक्षक माता शान्ता पत्नि लक्ष्मणसिंह
4. तेजसिंह पिता चमनसिह जरिये सरंक्षक माता शान्ता पत्नि लक्ष्मणसिंह
   समस्त जाति रावतान निवासीयान चेता तहसील भीम राजसमन्द।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सोहनसिह पिता रामसिंह रावत
2. तुलछासिंह पिता रामसिंह रावत
3. विरमसिह पिता रामसिंह रावत
4. मूलसिंह मुतबन्ना मालसिंह रावत
5. गणेशसिंह पिता प्रेमसिंह रावत
6. रणवीरसिंह पिता उदा रावत
7. दौली पत्नि स्व. उदा रावत
   समस्त निवासीयान चेता तहसील भीम राजसमन्द
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम

अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955

मुकदमा नं 18/2016 रे.वा.

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र इस प्रकार प्रारम्भिक डिकी किया जाता है कि वादपत्र के खाता संख्या 42 के आराजी खसरा नम्बर 93 कुल किता 1 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से बाई मीटस एण्ड बाउण्डस व अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारा किया जाकर वादीगण का 1/4 हिस्सा अलग किया जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाकर दिनांक 28.08.2019 से पूर्व इस न्यायालय को भिजाना सुनिश्चित करें।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
भीम जिला राजसमंद

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम जिला - राजसमन्द

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनाम		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत	2	00	म्हनताना वकील) पर		
महनताना वकील) पर			खर्चा गवाहान	छपस	
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् ईजराय हुक्मनामा	1	00	मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान	6	00	मीजान	शून्य	